

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

हर घर से उठे कचराए गंदगी करने वालो के लये उडन दस्ता भी रहे मुस्तैद निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देश रतलाम 01 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ मेें नम्बर 1 बनाने के लए पुरी ताकत लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर नगर के 49 ही वार्डों के पर्यवेक्षकों से फीडबैक लेकर निर्देशत कया क हर घर से कचरा उठवाया जाए और उसका समुचित निपटान करवाया जाये इसके बाद भी अगर कोई नागरिक अपनी दुकान या मकान के बाहर कचरा फेंकता है तो स्पॉट फाईन वसूलने वाला उडनदस्ता 24 घंटे मुस्तैद रहे।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क स्वच्छत सर्वेक्षण दल के आने के पहले अब निगम का अमला स्वच्छ सर्वेक्षण में रतलाम को नम्बर 1 बनाने के लए पुलस प्रशासन की तरह कार्य करेगा। स्वच्छता अभियान में तैनात पर्यवेक्षकों निर्देशत कया क मेन पावर और मशीनरी पावर का नियमानुसार उपयोग कर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कोई कसर नही छोड़े।

घरएदुकानों के बाहर व नालयों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना करने के लये स्पॉट फाईन उडन दस्ता गठित कया गया है जो प्रातः 5 रात्रि 12 बजे तक शहर की सडकों पर रहेगे। ये सभी नगर निगम की गणवेश में रहेगे और इनके वाहनों में सायरन की सुवधाएं भी रहेगी।

इसी के साथ मोहल्लेए कालोनी और सार्वजनिक आदि स्थानों पर सुबह जल्दी या रात के अंधेरे में कचरे के थैले व थैलयां फेंकने वालो के वरूद्ध दर्जन भर से ज्यादा लठैत (लाठी वाले कर्मचारी) तैनात कए जा रहे हैं।

इसी तरह शहर के सभी वार्डों में पुलस वभाग की तरह हर गलीएहर मोहल्लेए हर कालोनीए सडक आदि का रुट चार्ट तैयार कराया गया है। ये रुट चार्ट हर झोन कार्यालय पर रहेगा। इस रुट चार्ट से पता चलेगा क कचरा संग्रहण वाहन का चालक व हेल्पर कौन है, सडकों की सफाई कौन करता है, नालयों आदि से कचरा कौन एकत्र कर रहा है। जिन वार्डों में बगीचे है उन्हें स्मार्ट

बागीचे बनाए जाने पर भी जोर दिया गया है। हर वार्ड की सडकेए ना लयों को नियमत साफ कया जाए। पूरे शहर के घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग ही लया जाए।

बैठक के दौरान बेस्ट लोकेशन को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही अस्थायी कचरा स्थलों को समाप्त करने के निर्देश स्वास्थ्य वभाग के जिम्मेदारों को दिए गए हैं।

आयोजित बैठक में लोक निर्माण वभागए स्वास्थ्य वभागए वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकए स्पॉट फाईन दल सहित स्वच्छता से जुडे निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

34 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 24 कलो पॉलीथीन जब्त 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 01 मार्च । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000₹ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत राजभोग रेस्टोरेंट कस्तुरबा नगर पर 2000₹ अमत अग्रवाल न्यू रोड व श्रवण कुमार राम मंदिर पर 1000. 1000₹ राधेप्याम साक्षी पेट्रोल पम्प पर 500₹ गुलाब सिंह हाकमवाड़ा पर 450₹ प्यामए युसूफए राम मंदिरए अग्रवाल नमकीन न्यू रोडए अनूप सिंहए सुभाश सैलाना बस स्टैण्ड व एक अन्य पर 250.250₹ गरिष षर्मा कस्तुरबा नगर पर

200ए कमलेश्वर वषाल राठौरए साईं मे डकल राम मंदिरए ओमप्रकाष जवाहर नगर राकेष न्यू रोडए अनिल अलकापुरीए व्यास बैकरी सैलाना बस स्टैण्डए षब्बीर भाई व 3 अन्य पर 100.100ए चेतनए इकबालए महादेव राम मंदिरए राधाबाई बाजना बस स्टैण्डए करणए राकेष सैलाना बस स्टैण्डए चेतन माली व चार अन्य पर 50. 50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 9 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

वार्डवार पर्यवेक्षकों ने नगर के व भन्न क्षेत्रों में करवाया सफाई का कार्य स्वच्छता कार्य में नियुक्त वार्डवार पर्यवेक्षक अपने-अपने वार्डों में प्रतिदिन भ्रमण करें

प्रतिदिन की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें

रतलाम 01 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों अपने-अपने वार्डों में सफाई कार्य हेतु पर्यवेक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कया जाकर प्रतिदिन के पर्यक्षण कार्य की रिपोर्ट व्हाट्स एप ग्रुप में दी जाकर स्वच्छता संबंधी कार्य करवाया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने वार्ड में भ्रमण कर जानकारी प्रस्तुत की जिसके तहत लक्कड़पीठा नालाए वार्ड क्रमांक 4 में अम्बर कराना के सामने उद्यानए देवरा देव नारायण

नगरए अलकापुरी सुलभ षौचालय व आईटीआई रोडए वार्ड क्रमांक 6 राजीव नगरए जुलवानिया टे^अ चंग ग्राउण्डए लक्ष्मणपुरा नालाए वार्ड क्रमांक 48 मरीमाता मंदिर के पास व खटीक मोहल्ला की ना लयांए वार्ड क्रमांक 21 के रिक्त भूखण्डए समता परिसरए दीनदयाल नगर ग्राउण्डए धनजीभाई का नोहराए वनोबा नगर पानी की टंकी व मुक्तिधाम के पासए षासकीय लोकमान्य तिलक वद्यालयए जवाहर नगरए वार्ड क्रमांक 16ए आषीर्वाद न सँग होम के आसपासए वार्ड क्रमांक 7 नेहरू नगरए इंदिरा नगर व इन्द्रलोक नगर मुख्य मार्ग व अमृत सागर कालोनी की सफाई का कार्य करवाया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया क वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्डों में साफ-सफाईए विशेष रूप से सड़कोए ना लयों की सफाईए उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवानाए सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवानाए सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवानाए वार्डों में उचित दूरी पर इस्टबीन रखवानाए कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करनाए कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करनाए पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा टे^अ चंग ग्राउण्ड पर पहुंचानाए वार्डों में आईईसी गति व धयां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लए प्रेरित करनाए कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस टे^अ कंग करवानाए थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवानाए नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग कये जाने हेतु प्रेरित कये जाने के साथ ही अपने-अपने वार्डों में 6 बेस्ट पाईंट चन्हित करें।

इसके अलावा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करे व स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक व्हाट्स एप ग्रुप प्रतिदिन की रिपोर्ट अपलोड करें।

जूनी कोर्ट करण टॉकज के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 41ए28ए144६ संपत्तिकर व 8ए57ए030६ जलकर जमा कराया

रतलाम 01 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर्ि में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने अब तक

आयोजित ष वरों में 41ए28ए144६ संपत्तिकर व 8ए57ए030६ जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली ष वरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉकजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंटरल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सुवधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालों की सूचना दल को दें

रतलाम 01 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में नाले-नालयों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्देए मनोज झांझोटए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

अनुपस्थित 28 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा
कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 01 मार्च। नगर के व भन्न वार्डों के सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान 28 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान मनीष-मुकेशए वमला-बाबुलालए वष्णुबाई-मुकेशए राजबाई-राजेन्द्रए श्रद्धाबाई-दिनेशए मीनाबाई-मनोज वार्ड क्रमांक 1ए जितेन्द्र-छोटेलाल वार्ड क्रमांक 2ए श्रवण-भरतए मथुन-जगदीशए मनोज-देवकरण वार्ड क्रमांक 3ए भारती-वमलेश वार्ड क्रमांक 4ए रेखा-महादेवए मुकेश-लालाराम वार्ड क्रमांक 5ए ऋ ष-मोहनलाल वार्ड क्रमांक 6ए पंकज-चत्तरपालए सतीश-राजेन्द्रए अर्जून-राजेश वार्ड क्रमांक 8ए इन्दर-मनोहरए हरिओम-मनोहर वार्ड क्रमांक 9ए राकेश-अशोकए वशाल-मुकेश वार्ड क्रमांक 13ए अजय-बाबुलाल वार्ड क्रमांक 16ए लोकेश-दिनेश वार्ड क्रमांक 20ए प्रशांत-महेश वार्ड क्रमांक 22ए सन्नी-जगदीशए रोहित-प्रभुलालए सरस्वती-धनराजए लता-प्रभुलाल वार्ड क्रमांक

29ए पुष्पेन्द्र-दिनेश वार्ड क्रमांक 44 द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

702 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 01 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेश्यों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेश्यों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 01 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 702 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 01 मार्च सोमवार को शवशंकर कालोनीए लोकेन्द्र भवन रोड व टीआईटी रोड से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेश्यों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेश्यों का पालन कया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए०पी० संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

130 दिनों में 152 वॉल्व व 884 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 01 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 01 मार्च तक 152 वॉल्व व 884 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ रतलाम जलशक्ति अभियान ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 01 मार्च सोमवार को शक्ति नगर बैरागीजी के भवन के पासए मार्निंग स्टार स्कूल के सामने गणेश नगरए जवाहर नगर सुभाष डेरी के सामने वाली गलीए चमारिया नाका ताज स्टोन के पासए सखवाल नगर पाटिल स्क्रीन के पासए शैरानीपुरा हैल्थ क्लब के सामनेए जावरा रोड चौराहाए बाईजी का वास व लोकेन्द्र भवन रोड पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये जाने के साथ ही चमारिया नाकाए राजस्व कालोनीए मशन कम्पाउण्ड व पैलेस रोड पर वॉल्व दुरस्त करवाया गया। इसके अलावा महू रोड सार्वजनिक शौचालय की पाईप लाईन फटिंगए डोसीगांव व अलकापुरी सी कालोनी में हैण्डपम्प की मरम्मत का कार्य करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 01 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के

पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें रतलाम 01 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें। इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 01 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री फल-सब्जी के छिलके घांस व पेड़ की पत्तियां राखे चाय पत्ती बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा इस्टबीन सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता अखबार लोहा कपड़ा शाल कांच पै कंग मटेरियल टूटे खलौने प्लास्टिक आदि के लिये नीला इस्टबीन घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डब्बे पेस्टीसाइड के डब्बे सीएफएल ट्यूबलाईट थर्मामीटर बैटरी आदि के लिये काला इस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन डायपर सुई संरिज मास्क ग्लब्स पीपीई कीट आदि के लिये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक्-पृथक् भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/01ण03ण2021धन.पा.निगमए रतलाम.